अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette
सत्यमेव जयते
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority
सं. 324, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 26 सितम्बर, 2018
No. 324, Port Blair, Wednesday, September 26, 2018

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
उद्योग निदेशालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 26 सितम्बर, 2018

सं. 318/2018/फाइल संख्या 2–93/ए.पी.2017–18 से 2019–20/पी.एल./आई.एन.डी./2017–18/खंड–II.— अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के जनजातियों को औज़ारों, उपस्कारों, मशीनरियों एवं उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के जनजातियों को औज़ारों, उपस्करों, मशीनरियों एवं उपकरणों की आपूर्ति में 90% की सब्सिडी" नामक एक नई स्कीम बनाते हैं।

1. कार्यक्रम/स्कीम का नाम : इस स्कीम/कार्यक्रम को "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के जनजातियों को औजारों, उपस्करों, मशीनरियों एवं उपकरणों की आपूर्ति में 90% की सब्सिडी" कहा जाएगा।

2. कार्यक्रम/स्कीम का प्रारम्भ एवं कालावधि : यह स्कीम/कार्यक्रम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे और दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रवर्तन में रहेंगे, बशर्ते इसमें संशोधन न होता हो, या इसे निरस्त नहीं करता हो।

3. अनुप्रयोज्यता /पात्रता :

क. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के जनजातीय उद्यमी व्यक्ति।

ख. ऐसे स्वयं सहायता समूह जिसके सभी सदस्य अण्ड़मान तथा निकोबार द्वीपसमूह के जनजातीय जनसंख्या से हो।

ग. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के जनजातीय गाँवों के तुहेत।

घ. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पात्र जनजातियों को वितरित करने के लिए जनजाति कल्याण विभाग/आदिम जनजाति विकास समिति।

4. परिभाषाए :

"जनजाति" से तात्पर्य भारत सरकार/अण्ड़मान तथा निकोबार प्रशासन के द्वारा अधिसूचित के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का एक जनजाति एवं जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैध जनजातीय प्रमाणपत्रधारी करता हो।

"उद्यमी व्यक्ति" से तात्पर्य अण्ड़मान तथा निकोबार द्वीपसमूह का कोई जनजातीय उद्यमी जो इस कार्यक्रम/स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करना चाहता है।

"जनजाति मूल का स्वयं सहायता समूह" जिसे एस.एच.जी. भी कहा जाता है, से तात्पर्य अण्ड़मान तथा निकोबार द्वीपसमूह के जनजातीय सदस्यों से गठित प्रायः 08 से 20 सदस्य, ग्रामीण वित्तिय मध्यवर्ती समूह जैसा कि ऊपर परिभाषित है और जिसका गठन सदस्यों के वित्तिय एंव व्यैक्तिक समस्याओं के समाधान के लिए समान उद्देश्य एवं आर्थिक गतिविधि में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए हुआ हो।

"तुहेत" से तात्पर्य एक बृहद परिवार जो मुख्यतः कार निकोबार में पाई जाती है। तुहेत एक वासभूमि मात्र नहीं है, बल्कि एक गाँव के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले सदस्य भी सभी प्रायोगिक प्रयोजन के लिए एक तुहेत के बैनर तले एकत्रित होते हैं।

"सब्सिडी" से तात्पर्य अधोलिखित औजारों/उपकरणों की खरीद एवं संस्थापना की लागत का 90%:

(क) बेकरी उपकरणों, औजारों, उपस्करों और/या सहायक उपकरण जैसे आटा तैयार करने के लिए मेज, बेकरी ओवन, बर्तन, ट्रे जिसका उपयोग बेकरी सामग्रियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाएगा।

(ख) सामान्य इंजीनियरिंग, कार्पेन्टरी, मेशनरी, सिलाई एंव वस्त्रों का विनिर्माण एवं कढ़ाई (इम्ब्रोयडरी) के लिए हाथों से चलाने वाले औजार/सभी सुवाह्य मशीनों/उपस्कर।

(ग) हस्तशिल्प सामग्रियों को बनाने के औजार इत्यादि।

"विशुद्ध नारियल तेल का निस्सारण" जिसे "वी.सी. ओ. एक्सट्राक्टर" कहा जाता है, से तात्पर्य कामचलाऊ तेल निस्सारक जिसका डिजाइन अथवा सिफारिश नारियल विकास बोर्ड या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा अभिकल्पित या संस्तुति प्रदान किया गया है।

"बेकरी उपस्कर" से तात्पर्य ऐसे उपस्करों से है जिसका उपयोग बेकरी सामग्रियाँ जैसे ब्रेड, बिस्कुट, केक इत्यादि के निर्माण में किया जाता है।

"औजार एवं उपकरण" से तात्पर्य ऐसे औज़ारों एवं उपकरणों से है, जिनका उपयोग काष्ठकारी कार्य, सामान्य इंजीनियरिंग जैसे दुपहिया वाहनों का मरम्मत, प्लमबिंग, इलेक्ट्रीशियन, गैस स्टोव मरम्मत, सिलाई मशीन मरम्मत, मेशनरी औज़ार, हस्तशिल्प सामग्रियों को बनाने के लिए आवश्यक औज़ार, सिलाई एंव वस्त्र निर्माण तथा कढ़ाई के लिए मशीनरियाँ एवं उपकरण है।

"नीति निर्माता, क्रियान्वयन एजेंसी एवं संवितरण एजेंसी" से तात्पर्य उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन है।

5. **सब्सिडी की अधिकतम सीमा:**

(क) व्यक्तिगत उद्यमी के लिए औज़ारों, उपकरणों एंव उपस्करों के खरीद सहित संस्थापन एवं कमीशनिंग की कुल लागत का 90% राशि, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा रुपए 50,000/– तक की होगी।

(ख) जनजातीय मूल के स्वयं सहायता समूह या तुहेत के लिए औजारों, उपकरणों/उपस्करों की खरीद सहित संस्थापन एवं कमीशनिंग की कुल लागत का 90% राशि, जिसमें समूह/तुहेत के प्रत्येक सदस्य के रुपए 50,000/- की दर से, लेकिन इसकी कुल अधिकतम सीमा रुपए 2,50,000/– (रुपए दो लाख पचास हज़ार मात्र) तक की होगी।

6. **निबंधन एवं शर्तें :**

(क) आवेदक (व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह / तुहेत) को जन्म से अण्ड़मान तथा निकोबार द्वीपसमूह की जनजातीय समुदाय से होना अनिवार्य है।

(ख) गैर-उत्पादक संपतियाँ जैसे फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर, वाहन, डेक्सटॉप कंप्यूटर, टाइपराइटर इत्यादि, जिसका उत्पादन से सीधा संबंध नहीं है, ऐसी वस्तुएँ सब्सिडी के लिए अर्हक नहीं होंगे।

(ग) इस स्कीम के तहत सब्सिडी के दावों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

(i) स्वयं सहायता समूह /तुहेत के लिए जनजाति परिषद के अध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।

(ii) किसी जनजातीय उद्यमी, स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य, तुहेत के किसी सदस्य के द्वारा निर्धारित समयावधि के दौरान औजारों/उपकरणों/उपस्करों के लिए केवल एक बार सब्सिडी के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे।

(iii) इस कार्यकम /स्कीम के तहत उपलब्ध करवाए गए औज़ारों/उपकरणों/उपस्करों को उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति/एस.एच.जी./तुहेत को नहीं बेचेंगे।

(iv) विभाग अपने अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से अनुमोदित दर पर उपकरणों/औज़ारों के 10% लागत राशि हितधारकों से वसूलने के पश्चात औज़ारों, उपकरणों को उद्यमी व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह/तुहेत के कार्य स्थल पर आपूर्ति करेगा।

7. सहायता प्राप्त करने/सब्सिडी के दावा करने की प्रक्रिया:

(क). पात्र उद्यमी व्यक्ति/एस.एच.जी./तुहेत जो इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इस स्कीम के साथ संलग्न (संलग्नक –I एंव II) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं सभी आवश्यक समर्थक दस्तावेज़ जिसमें अधोलिखित भी शामिल होंगे, को उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर या संबंधित क्षेत्र के उद्योग विभाग के प्रभारी–अधिकारी के पास जमा करें।

i. विधिवत भरी हुई आवेदन फॉर्म।

ii. भवन/भूमि के स्वामित्व/लीज़/किराया पर होने से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य या एस.एच.जी./तुहेत के मामले में संबंधित क्षेत्र के जनजाति परिषद से अनापत्ति प्रमाणपत्र।

iii. अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (उद्यमी व्यक्ति एस.एच.जी./तुहेत के सभी सदस्यों का) की प्रति।

iv. स्वयं सहायता समूह के गठन से संबंधित दस्तावेज़ जैसे बैंक विवरण, उप–विधि आदि।

v. कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी, उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकाबार प्रशासन द्वारा प्राप्त किए गए सब्सिडी आवेदन की संवीक्षा की जाएगी और वे कार्यबल–एवं–संवीक्षा समिति की बैठक आयोजित करेंगे।

vi. कार्यबल समिति की सिफारिशों के अनुसार विभाग सामान्य वित्तीय नियमों और भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार खरीद प्रक्रिया आरम्भ करेगी।

vii. निविदा प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने के बाद स्वीकृति प्राधिकारी की स्वीकृति ली जाएगी।

viii. स्वीकृति प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा लेखा अधिकारी, उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पक्ष में औजारों/उपकरणों /उपस्करों के 10% लागत राशि डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा।

ix. विभाग द्वारा औजारों/उपकरणों /उपस्करों की प्राप्ति कर लिए जाने के बाद उसे उद्यमी/तुहेत/स्वयं सहायता समूह के कार्य स्थल पर ले जा कर स्थापित किया जाएगा।

ख. यदि सरकारी विकास एजेन्सियों जैसे आदिम जनजति विकास समिति, आदिम जनजाति कल्याण विभाग, अण्डमान तथा निकाबार प्रशासन या अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संबंधित जिलों के उपायुक्तों द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदिम जातियों (उद्यमी व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह /तुहेत) की सिफाारिश की है या की जाती है तो अण्डमान तथा निकाबार द्वीपसमूह के पात्र आदिम जनजाति (उद्यमी व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह/तुहेत) को इस अधिसूचना के खण्ड 6 और 7 के तहत बताई गई प्रक्रियाओं को किए बिना ही औजारों, उपकरणों, मशीनों और उपस्करों की आपूर्ति की जाएगी और अण्डमान तथा निकाबार द्वीपसमूह के आपूर्ति करने के लिए औजारों/उपकरणों /उपस्करों के 10% लागत राशि के भुगतान किए जाने पर उपरोक्त सरकारी विकास एजेन्सियों को उपकरण की आपूर्ति की जाएगी।

8. कार्यबल एवं जांच समिति :

प्राप्त आवेदनों को प्रारम्भिक रूप से उद्योग निदेशालय द्वारा जांच की जाएगी और उसे अण्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा निम्नलिखितों को शामिल करते हुए गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा :–

1. सचिव (जनजाति कल्याण)	– अध्यक्ष
2. निदेशक, जनजाति कल्याण	– सदस्य
3. निदेशक, अण्डमान निकोबार जनजाति अनुसंधान संस्थान	– सदस्य
4. आदिवासी क्षेत्र के संबंधित सहायक आयुक्त	– सदस्य
5. संबंधित आदिवासी परिषद के प्रतिनिधि	– सदस्य
6. निदेशक, उद्योग	– सदस्य

कार्यबल एवं संवीक्षा समिति की भूमिका एवं कार्य निम्नलिखित हैं :

- प्राप्त आवेदनों को इसकी साध्यता और व्यवहार्यता के लिए कार्यबल एवं संवीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- समिति की बैठक छः महीने में एक बार आयोजित की जाएगी (अर्थात् सितम्बर और मार्च माह के प्रथम सप्ताह के दौरान) बशर्ते कि आवेदन प्राप्त हो।
- समिति अपनी सिफारिश आगे की प्रक्रिया के लिए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पास प्रस्तुत करेगी।

9. संस्वीकृति प्राधिकारी :
माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संस्वीकृति प्राधिकारी होंगे या वित्तीय शक्ति नियम, 1978 के प्रत्यायोजन के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के दिनांक 28 मार्च, 2014 के आदेश सं. 995 द्वारा उनमें विनिर्दिष्ट वित्तीय सीमा तक या समय–समय पर लागू अनुसार सब्सिडी/वित्तीय सहायता के संबंध में व्यय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासनिक सचिव/विभागाध्यक्ष को पुनः प्रत्यायोजित किया गया है।

10. प्रलेखन :
क) निम्नलिखित प्रलेखों के आधार पर क्रियान्वयन एजेन्सी (उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन) द्वारा उद्यमियों/स्वयं सहायता समूह/तुहेत को कलपुर्जों/उपकरणों/औजारों की आपूर्ति की जाएगी :–
i. अनुलग्नक –III में निर्धारित एक वचनपत्र।
ii. निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक–IV) में 90% स्वीकृत सब्सिडी राशि के मूल्य के औजारों/उपकरणों/उपस्करों की रसीद।

या

ख) सिफारिश करने वाली विकास एजेन्सियों द्वारा औजारों/उपकरणों/उपस्करों की रसीद की प्राप्ति और औजारों/उपकरणों /उपस्करों के उचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए सिफारिश करने वाली विकास एजेन्सियों द्वारा वचनपत्र के आधार पर सिफारिश करने वाली विकास एजेन्सियों के माध्यम से उद्यमियों/स्वयं सहायता समूह/तुहेत को कलपुर्जों/उपकरणों/औजारों की सुपुर्दगी की जाएगी।

11. सब्सीडी वापस लेना :
उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह इस स्कीम के तहत किसी इकाई को संवितरीत सब्सिडी को निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस ले सकते हैं :–
क. व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह /तुहेत द्वारा इस कार्यक्रम की किसी भी शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर।
ख. व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह /तुहेत द्वारा गलत प्रतिवेदन देकर या तथ्यों को छुपाकर या गलत सूचना देकर सब्सिडी प्राप्त करने पर।
ग. यदि किसी भी कारणों से लाभार्थी अयोग्य पाए जाने पर उप राज्यपाल को पूरी सब्सिडी या उसके किसी भाग को वापस लेने की छूट होगी।

12. निर्वचन का अधिकार :
इस कार्यक्रम के तहत किसी भी खण्ड के निर्वचन का अधिकार, अ. तथा नि. प्रशासन के पास होगा।

13. छूट देने की शक्ति :
इस कार्यक्रम के तहत किसी भी खण्ड की छूट देने का अधिकार प्रशासक, अ. तथा नि. प्रशासन के पास होगा।

14. मध्यस्थता :
इस कार्यक्रम से या इसके दावों से कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होने पर उसे माननीय उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक मात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 लागू होगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पार्टी उसे मानने के लिए बाध्य होंगे तथा मध्यस्थता पोर्ट ब्लेयर में ही की जाएगी।

एडमिरल डी. के. जोशी
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वाई.एस.एम., एन.एम., वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त)
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ह./–
(अजित आनन्द)
उद्योग निदेशक

अनुलग्नक – I

चेक लिस्ट

1.	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
2.	आधार कार्ड
3.	द्वीपवासी प्रमाण पत्र, यदि हो
4.	अनुसूचित जनजाति प्रभाण पत्र
5.	व्यैक्तिक/तुहेत/स्वयं सहायता समूह
6.	दस्तावेजी साक्ष्य (स्वामित्व/लीज़/जमीनी भाड़ा/भवन/ संबंधित क्षेत्र के जनजाति परिषद से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र), यदि स्वयं सहायता समूह/तुहेत हो तो
7.	स्वयं सहायता समूह के सूचना से संबंधित दस्तावेज, यदि हो तो

अनुलग्नक –II

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के जनजातियों को औज़ारों, उपस्करों, मशीनरियों एवं उपकरणों की आपूर्ति हेतु आवेदन

1.	आवेदक का नाम व पता (व्यैक्तिक/तुहेत/स्वयं सहायता समूह)					
2.	प्रस्तावित उद्यमियों का नाम एवं पूरा पता					
3.	आवेदक का औहदा (व्यैक्तिक/तुहेत/स्वयं सहायता समूह)					
4.	भूमि का विवरण जिस पर आवेदक यूनिट स्थापित करना चाहता हो (स्वामित्व/लीज़/जमीनी भाड़ा/भवन/ संबंधित क्षेत्र के जनजाति परिषद से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र), यदि स्वयं सहायता समूह/तुहेत हो तो					
5.	आवेदक द्वारा अपेक्षित औज़ारों, उपस्करों, मशीनरियों एवं उपकरणों की विनिर्दष्टता सहित विवरण	क्र. सं	औज़ारों, उपकरणों का विवरण	मात्रा	दर	राशि
6.	औजार, उपस्करों, डिवाइज की कुल अनुमानित मूल्य		कुल			
7.	औजार, उपस्करों, डिवाइज की कुल अनुमानित मूल्य का 10%					

घोषणा

1. मैं/हमने अधिसूचित कार्यक्रम के सभी निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है एवं पालन करने के लिए सहमत हूँ।
2. मैं/हमने किसी भी तत्थ्य को न ही अनुचित ढ़ंग से प्रस्तुत किया है और न ही छिपाया है।
3. मैं/हम इस योजना में शामिल मशीनरी को नही बेचूंगा।
4. मैं /हम घोषणा करते हैं कि हमने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त नही किया है एवं न ही भारत सरकार अथवा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के इस प्रकार के किसी अन्य समान कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है ।
5. मैं /हम ये घोषणा करते हैं कि औजार, उपकरण एवं डिवाइज के 10% मूल्य के बाद पाया गया अधिक अंतर की राशि का भुगतान करेंगे।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक –III

वचनपत्र

(रु. 10/– के न्यायिक स्टैम्प पत्र पर)

1. मैं/हम, एतद्द्वारा यह वचन देता हूँ /देते हैं कि मुझे प्राप्त सब्सिडी के उपयोग और उपयोगिता की जाँच करने तथा यह सुनिश्चित करने पर कि मुझे जारी सब्सिडी पर प्राप्त सामग्रियों का वास्तविक रूप से मेरे द्वारा उपयोग किया गया है, की जाँच करने के लिए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन या भारत सरकार द्वारा उनकी ओर से अधिकृत किसी भी व्यक्ति को मैं/हम किसी भी समय तथा समय–समय पर सामान्य व्यापारिक अवधि के दौरान आवश्यक रिकॉर्डों तथा पुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति प्रदान करूँगा/करेंगे।
2. मैं/हम समय–समय पर भारत सरकार अथवा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा माँगी गई सभी जानकारियाँ उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को उपलब्ध कराऊँगा / कराएंगे ।
3. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि उद्योग निदेशालय द्वारा अंततः यह निर्णय लिया जाता है कि किसी भी कारणवश चाहे जो भी हो मैं/हम आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अनुदान की प्रतिपूर्ति के योग्य नहीं हूँ/है, तो ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर ग्राह्य राशि उद्योग निदेशालय को लौटा दी जाएगी ।

हस्ताक्षर......................

नाम ....

दिनांक.....................

पता ....

स्थान.......................

....

....

साक्षी

1.

2.

अनुलग्नक – IV

रसीद

मेरे अनुरोध पर "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के जनजातीय लोगों के लिए 90% अनुदान पर औजारों, उपकरणों, मशीनरी तथा उपस्करों की आपूर्ति" कार्यकम के तहत विनिर्दिष्ट तथा विनिर्मित अनुसार रु .... (रुपए ....मात्र) की राशि के मूल्य के औजारों / उपकरणों / उपस्करों, उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से सधन्यवाद प्राप्त किया ।

इन औजारों / उपकरणों / उपस्करों के लिए बाकी 10% लागत अन्तर मूल्य रु .... (रुपए..मात्र) की राशि मेरे द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

हस्ताक्षर..............................

दिनांक......................................

नाम ....

स्थान ....

पता ....

....

....

....

दूरभाष सं. ....

मोबाईल सं. ....

ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF INDUSTRIES
NOTIFICATION

Port Blair, dated the 26th September, 2018

No. 318/2018/F.No 2-93/AP 2017-18 to 2019-20/PL/IND/2017-18/PF-II.— The Hon'ble Lt. Governor, Andaman & Nicobar Islands is pleased to frame a New Scheme / Programme "**90% subsidy for supply of Tools, Equipments, Machinery and Devices to Tribal of Andaman & Nicobar Islands**" for the supply of Tools, Equipments, Machinery and Devices to Tribal of Andaman & Nicobar Islands.

1. **Name & Title of the Programme :**
   This programme may be called "90% subsidy for supply of Tools, Equipments, Machinery and Devices to Tribal of Andaman & Nicobar Islands".
2. **Commencement & Duration of the Programme :**
   The Scheme/Programme shall come into force with effect from date of notification and remain in force up to 31st March, 2020 unless amended or repealed.
3. **Applicability/ Eligibility :**
   a .The individual Tribal Entrepreneurs of Andaman & Nicobar Islands.
   b. Self Help Group with all its members belonging to tribal population of A & N Islands.
   c. Tuhet of Tribal village in Andaman and Nicobar Islands.
   d. Tribal Welfare Department/AJVS for distribution to eligible tribal of A&N Islands.
4. **Definitions :**
   "Tribal" means a Tribal of Andaman & Nicobar Islands as notified by Govt. of India/ A & N Admn. and possessing valid Tribal Certificate issued by Competent Authority.
   "Individual Entrepreneur" means any Tribal Entrepreneur of Andaman & Nicobar Islands intending to avail assistance under the programme.
   "Self Help Group of Tribal Origin" referred as SHG is a village based financial intermediary usually composed of between 08-20 Tribal of A & N Islands as defined above which is formed with common motive and work jointly in an economic activity to solve financial and personal problems of individual.
   "Tuhet" means a large family mostly prevalent in Car Nicobar. The Tuhet is not just a homestead; even members living in different areas of a village are united for all practical purpose under the banner of the Tuhet.
   "Subsidy" means 90% of the cost of purchase and installation of following equipments:
   a. Bakery equipments, tools, devices and/or auxiliary devices like table for preparation of dough, bakery oven, vessels tray which could be used for commercial production of bakery items.
   b. Hand tools / all portable machines/ equipments for General Engineering, Carpentry, Masonry, Tailoring & Garment Making and Embroidery.
   c. Machinery and equipments required for Virgin Coconut Oil Extraction.
   d. Tools for making Handicrafts.
   "Virgin Coconut Oil Extraction" referred as "VCO Extractor" means the improvised oil extractor designed or recommended by the Coconut Development Board or any other recognized institution.
   "Bakery Equipments" means the equipments which are used for manufacturing of bakery items like Bread, Biscuit, Cake etc.
   "Tools & Equipments" means the tools or equipments required for Wood Working, General Engineering like two wheeler repairing, plumbing, electrician, gas stove repairing, sewing machine repairing, masonry tools, tools required for making handicraft items, machinery and equipment for Tailoring & Garment Making and Embroidery.
   "Policy Maker, Implementing Agency & Disbursing Agency" means the Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration.
5. **Maximum limit of subsidy :**
   a. For individual entrepreneurs', the 90% of the total cost for purchase including, installation & commissioning cost of tools and equipments/devices, subject to maximum of Rs. 50,000/-.
   b. For Self Help Group of Tribal Origin or Tuhet, the 90% of the total cost for purchase including installation & commissioning cost of tools and equipments/devices @ Rs. 50,000/- per member in that Group/ Tuhet subject to maximum of total Rs. 2,50,000/- (Rupees Two Lakhs Fifty Thousand Only).

6. **Terms & Conditions (T &C) :**

a. The applicant (individual/ SHG)/ Tuhet must belong to Tribal Community of Andaman & Nicobar Islands by birth.

b. Unproductive assets, which do not have direct linkage to production process or servicing such as furniture, office equipment, vehicles, desktop computers, typewriter etc. shall not qualify for subsidy.

c. Claim for subsidy under this scheme must satisfy any one of the following conditions:

i. No Objection Certificate from the Chairman, Tribal Council for Self Help Group/ Tuhet.

ii. A Tribal entrepreneur, an individual in SHG, an individual in Tuhet can submit application for subsidy for a tools/ equipments/ devices in the stipulated period only once.

iii. The tools/equipments/devices provided under the programme should not be sold to any other individual/SHG/Tuhet or any other units without the prior permission of Director of Industries, A & N Administration.

iv. The department shall supply tools, equipments, devices to the individual/SHG/ Tuhet at the place of work through its approved supplier/firms at the approved price after obtaining 10% cost of equipments/tools from the beneficiary.

7. **Procedure for availing assistance/ claiming Subsidy :**

a. The eligible Individual/ SHG/Tuhet intending to avail assistance under this programme shall submit an application to the Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair or Officer-in-Charge of Industries Department of the respective area in prescribed form in (*Annexure-I & II)* appended to this programme along with all supporting documents including:

i. Duly filled application form.

ii. Documentary evidence for ownership/lease/rental of land/ building or NOC from Tribal Council of concerned area in case of SHG/ Tuhet.

iii. Copy of Scheduled Tribe Certificate (individual/ all members of SHG/Tuhet) issued by authorized official of Andaman & Nicobar Administration.

iv. Documents related to formation of Self Help Group like bank statement, bye-laws etc.

v. The subsidy application so submitted shall be examined by Programme Implementing Officer, Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration who in turn shall convene meeting of Task Force-cum-Scrutiny Committee.

vi. As per the recommendation of the Task Force Committee, the Department will initiate procurement procedure as per General Financial Rules and instructions of Govt. of India.

vii. Approval of the Sanctioning Authority will be obtained after finalization of tendering procedure.

viii. On approval of the Sanctioning Authority, a Demand Draft for the value of the 10% cost of the tools/equipments/devices in favour of Accounts Officer, Directorate of Industries, A & N Administration has to be submitted by the applicant.

ix. On receipt of the tools/ equipments/ devices by the Department it will be transported, installed and commissioned in the working place of the Entrepreneur/ Tuhet/ SHG.

or

b. The eligible tribal of Andaman & Nicobar Islands (Individual/ SHG/Tuhet) shall be supplied Tools, Equipments, Machinery and Devices on 90% Subsidy without undergoing the procedure described under Clause 6 and 7 (a) of this notification, provided the tribal of Andaman & Nicobar Islands (Individual/ SHG/Tuhet) is/are recommended by Governmental Developmental Agencies like Aadim Janjati Vikas Samiti, Department of Tribal Welfare, A&N Administration or Deputy Commissioners of the concerned Districts of A&N Islands and tools shall be supplied to the aforementioned Government Developmental Agencies on payment of 10% cost of the tools/ equipments/ devices for supplying to the Tribal of A & N Islands.

8. **Task Force-cum-Scrutiny Committee :**

The applications thus received shall be preliminary scrutinized by Directorate of Industries and placed before a Committee constituted by the Andaman and Nicobar Administration having following composition :

1. Secretary (Tribal Welfare) - Chairman
2. Director, Tribal Welfare - Member
3. Director, Andaman Nicobar Tribal Research Institute - Member
4. Concerned Assistant Commissioner of Tribal Area - Member
5. Representative of concerned Tribal Council - Member
6. Director, Industries - Member Secretary

The Role & Functions of the Task Force-cum-Scrutiny Committee are as under :

- The application received shall be placed before the Task Force-cum-Scrutiny Committee for its feasibility and viability.
- The committee will meet once in six months (i.e. during 1st week of September & March) subject to receipt of applications.
- The committee will submit its recommendation to Director of Industries, Andaman & Nicobar Administration for initiating the further process.

9. **Sanctioning Authority :**

Hon'ble Lt. Governor, A & N Islands shall be the sanctioning authority or as per Delegation of Financial Power Rule, 1978, vide A&N Administration Order No. 995 dated 28th March, 2014 for grant of expenditure/ financial sanction with respect to subsidy/ financial assistance have been re-delegated to Administrative Secretary/ HoD up to the financial limit prescribed thereunder or as applicable from time to time.

10. **Documentation :**

a) The tools/equipments/devices will be delivered to the entrepreneur/SHG/Tuhet by the implementing agency (Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration) on the basis of the following document :

i. A undertaking in prescribed format in Annexure-III.

ii. A receipt of equipment/device/tools worth of the 90% sanctioned subsidy amount in the prescribed format (Annexure-IV).

or

b) The tools/equipments/devices will be delivered to the individual/SHG/Tuhet through the recommending Governmental Developmental Agencies on the basis of the receipt of equipments/devices/tools by the recommending Governmental Developmental Agencies and an undertaking by the recommending Governmental Developmental Agencies ensuring the proper utilization of the equipments/devices/tools.

11. **Recall of Subsidy :**

The Lt. Governor, A & N Islands may recall the subsidy disbursed under the programme in respect of a unit under any of the following circumstances :

a. In case there is a breach of any condition of programme by the Individual/ SHG/Tuhet.

b. In case the Individual/ SHG/Tuhet has obtained the subsidy by mis-representation or suppression of facts or by furnishing false information.

c. In case, if the beneficiary is found ineligible due to reasons, whatsoever, the Lt. Governor shall have the liberty to consider recall of the subsidy in full or part thereof.

12. **Power of Interpretation :**

Power of Interpretation of any clause under the programme shall lie with the A & N Administration.

13. Power of Relaxation :

Power of Relaxation of any clause under the programme shall lie with the Administrator, A & N Administration.

14. Arbitration :

In the event of any dispute or difference arising out of the programme or any of the claims therein, the same shall be referred to a sole Arbitrator appointed by Hon'ble Lt. Governor and the provision of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall be applicable. The decision of the Arbitration shall be final and binding on both the parties and the proceeding of the Arbitrator shall be held at Port Blair.

Admiral D.K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lt. Governor (Administrator),
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd./-
(Ajit Anand)
Director of Industries

Annexure-I

Checklist

1.	Application in prescribed format	
2.	Aadhaar Card	
3.	Islander Identity Card, if any	
4.	ST Certificate	
5.	Individual/ Tuhet/SHG	
6.	Documentary evidence (ownership/lease/ rental of land/building/NOC from Tribal Council of concerned area), in case of SHG/ Tuhet	
7.	Documents related to formation of Self Help Group, if any	

Annexure- II

APPLICATION FOR "90% SUBSIDY FOR SUPPLY OF TOOLS, EQUIPMENTS, MACHINERY AND DEVICES TO TRIBAL OF ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS"

<table>
<tr><td>1.</td><td>Name & address of the applicant (Individual/ Tuhet/SHG)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Name and full address of the proposed Enterprises</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Status of the applicant (Individual /SHG/Tuhet)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Details of the land in which the applicant has set up his unit (own /rental/lease/NOC from Tribal Council), in case of SHG/ Tuhet</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">5.</td><td rowspan="7">Details of tools, equipments, devices required by the applicant with complete specification.</td><td>Sl. No.</td><td>Details of Tools & Equipments</td><td>Qty.</td><td>Rate</td><td>Amount</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4" align="right">Total</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Total estimated cost of the tools, equipments, devices.</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>10% estimated cost of the tools equipments, devices.</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

Declaration :-

1. I/We have read the terms and conditions of the notified programme and agreed to abide.
2. I/We have not misrepresented or concealed any fact.
3. I/We will not sell out the machinery covered in the scheme.
4. I/We declare that we have not availed the benefits under this programme and any other similar programme of Govt. of India or Andaman & Nicobar Administration earlier.
5. I/We declare that I will pay the difference amount if any, being the 10% cost of the equipments/devices/tools.

Signature of the applicant

Annexure- III

UNDERTAKING

(On Judicial Stamp Paper of Rs. 10/-)

1. I/We, hereby undertake that I/we will permit any person authorized by the Andaman & Nicobar Administration or Government of India on their behalf any time and from time to time during the usual time of business to inspect and examine the necessary records and book of account in order to check the utilization and use of subsidy received by me and to ensure that the goods in respect of which subsidy has been released to me were actually used by me.
2. I/We will furnish to the Director of Industries, Andaman & Nicobar Administration or his authorized representatives all such information as asked for by the Andaman & Nicobar Administration or Government of India from time to time.
3. I/We, undertake if the Directorate of Industries ultimately decides for any reasons whatsoever that I/We am/are not entitled for reimbursement of subsidy in full or in part, the amount found to be in admissible shall be refunded to the Directorate of Industries within one month from the date of receipt of such notice.

Signature...............................

Date........................

Place......................

Name.................................

Address...............................

....

....

Witness

1.

2.

Annexure-IV

Receipt

Received with thanks from Director of Industries, Andaman & Nicobar Administration the tools/equipments/ devices as per the specification and make under the programme "90% subsidy for supply of Tools, Equipments, Machinery and Devices to Tribal of Andaman & Nicobar Islands" as requested by me worth an amount of Rs. .... Rupees .... only).

The difference amount for 10% cost of the tools/equipments/devices for Rs........................ (Rupees .... only) will be paid by me.

Signature...................................

Date........................ Name....................................

Place....................... Address................................

....

....

....

Phone No..................................

Cell No....................................